[श्री दिलीप सिंह भूरिया]

मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित एक सौ करोड़ रुपये की राशि में से केवल पचास करोड़ ही खर्च किये जा सके हैं। शेष पचास करोड़ रुपयों का उपयोग केवल इस कारण नहीं हो सका है कि आदिवासी जिलों के लिए सीमेंट की उपलब्धि नहीं कराई जा सकी। आदिवासी कल्याण योजना के अन्तर्गत कुएं निर्माण, शाला भवन, पंचायत भवन, लघु सिंचाई बांध, छात्रावास भवन तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट की आवश्यकता रहती है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा सीमेंट का आबंटन आदिवासी कल्याण योजना के निर्माण कार्यों हेतु इन जिलों में नहीं किये जाने से ही उक्त राशि का उपयोग नहीं हो सका है। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए काफी रकम का अलाटमेंट किया गया है। वहां भी इस रकम का समुचित उपयोग नियत समयावधि में नहीं किया जाता है। इसी प्रकार सीमेंट की उपलब्धि कई जिलों में नहीं कराई जाने से उपभोक्ताओं को बहुत तकलीफ होती है एवं काला बाजार में सीमेंट 50–55 रुपया प्रति बोरा के हिसाब से बेची जाती है, आदिवासी कल्याण योजना की राशि का उपयोग नहीं किये जाने से आदिवासियों में भंयकर असंतोष व्याप्त है एवं उन्हें शासन द्वारा उनके लाभ एवं विकास के लिए बनाई गई योजना के परिणामों से वंचित होना पड़ता है।

अतः मध्य प्रदेश शासन को निर्देश दिये जावें कि वह आदिवासियों के कल्याण के लिए आवंटित राशि का नियत समयावधि में उपयोग करे तथा आदिवासी जिलों में सीमेंट वितरण की विशेषकर आदिवासी-सब-प्लान के अन्तर्गत चलने वाले निर्माण कार्यों के लिए सीमेंट वितरण हेतु विशेष व्यवस्था करें ताकि केन्द्र द्वारा दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। इसी प्रकार के निर्देश अन्य राज्य सरकारों को भी दिये जायें जहां आदिवासी कल्याण योजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा बड़ी राशि का आवंटन किया गया है।

(v) Development of Renuka, Chaupal and Shilai Tehsils of Himachal Pradesh

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

हिमाचल प्रदेश की रेणुका, चौपाल तथा शिलाई तहसीलों को ट्राइबल एरिया घोषित किया जाना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है कि यहां के लोगों के रीति-रिवाज ठीक वही है जो उससे लगे उत्तर प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ में हैं। वहां पर इन की रिश्तेदारी भी है। यों भी यह क्षेत्र काफी पिछड़े हुए हैं और लैंड होल्डिंग भी यहां के लोगों के हाथ में नही है। इन क्षेत्रों में कोई कालेज आदि नही है। उक्त क्षेत्र पिछड़े होने के कारण वहां कोई सरकारी कर्मचारी या अध्यापक जाना नहीं चाहता है। देश स्वतंत्र हुए 33 वर्ष होने जा रहे हैं किन्तु वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर से भी वहां पर कोई किसी प्रकार का उद्योग या कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है। सड़कें कच्ची हैं। इन क्षेत्रों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार कुछ विशेष अनुदान प्रदान करे और वहां के लोगों को पुलिस आदि में भर्ती के लिए समानता के आधार पर अवसर दिये जायें और शिक्षा आदि की सुविधा दिलाने के साथ साथ वहां आई० टी० आई० के केन्द्र खुलवाये जायें।

(vi) Grant of Taqavi loan to poor farmers of Rajasthan

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं :

राजस्थान में हर साल मानसून शुरु होने पर गरीब किसानों को उनके खेत काश्त करने के लिए शार्ट टर्म लोन के रूप में तकावी बांटी जाती है। यह तकावी शार्ट टर्म (लोन) सूखे के बाद के साल में विशेष रुप से बहुत बड़ी मात्रा में बांटी जाती थी। यह साल सूखे के बाद का है लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने किसानों को कोई तकावी नहीं दी। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से गरीब किसान, विशेषकर हरिजन तथा आदिवासी किसान अपने खेत जोते बिना रह गये। इससे गरीब किसानों का अहित तो हुआ ही लेकिन अनाज का उत्पादन भी गिरेगा। बहुत से हरिजन तथा आदिवासी किसानों ने अपने खेत काश्त करने के लिए दूसरी जाति के सम्पन्न किसानों को दे दिए हैं तथा राजस्थान सरकार की इस कार्यवाही के कारण उनको अपने ही खेतों में मजदूर बनना पड़ा है।

(vii) POLICY OF RAILWAYS TO AUCTION RAILWAY PLOTS

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): Sir, the Railway Ministry have adopted a new policy to auction railway plots to give to various persons for the purpose of business. Previously, the plots were allotted by a Committee, and such persons who used to secure plots used to pay rent to the Railways on a monthly basis Many common persons including old ex-Railwaymen, sons of Railwaymen and poor shop-keepers and hawkers could secure some plots by that policy. The new policy will only help the rich to secure and monopolize railway plots. The Minister of Railways must immediately intervene, so that the new policy is scrapped. Otherwise, there will be serious unrest in the railway settlements arising out of serious discontent flowing from the new pro-rich policy of the Railway Ministry.

(viii) IMMEDIATE DESPATCH OF FOOD-GRANTS TO FAIMINE AFFECTED PARTS OF RAJASTHAN

श्री भीखा भाई (बांसवाड़): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वक्तव्य देना चाहता हूं ——

"राजस्थान के दक्षिणी भाग के आदिवासी क्षेत्रों में वर्षा नदारद। अकाल काम बन्द, पुराने अकाल में नये अकाल का प्रवेश। नाज की कमी के कारण अनाजों के भाव गगन-चुम्बी शक्कर के भाव 10—12 रुपये प्रतिकिलो, मजदूरों को दो-दो माह से भुगतान नगण्य, भारतीय कृषि निगम से कोई नाज नहीं भेजे जाने के आकाल की भंयकर स्थिति भुखमरी में परिवर्तित हो रही है। अतः केन्द्रीय सरकार नाज की व्यवस्था कर मजदूरों के लिये राज्य सरकार को निर्देश दिलायें।

(ix) PURCHASE OF SURPLUS PADDY IN PUNJAB

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): There are no arrangements to buy the surplus paddy in Punjab. The FCI which is to take the responsibility is not deciding even to purchase 25 per cent of the surplus stocks in the State. The State Government is not in a position to purchase all the surpluses. In the ensuing season it is expected that there will be 45 lakh tonnes of paddy to be marketed in the State. The State government is unprepared to purchase because it does not have increased godown capacity and milling capacity on par with the increase in production of paddy. In the next three years the marketable surplus will be 70 lakh tonnes.

Neither the state government not the Central Government are having future projections of production of pady and storing and other arrangements to be made to meet the situation. This is creating difficulty every year to the paddy producers who are